



Court Case No - 18/2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फा. सं.: NCST/DEV-2183/JH/46/2023-ESDW

श्री नाथू सिंह मीना,
पुलिस अधीक्षक, गोड्डा,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
जिला-गोड्डा, झारखंड-814133
ई-मेल: sp-godda@jhpolicе.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 20.09.2024 को 04:00 बजे, आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने के संबंध में श्री राजेश हांसदा एवं अन्य, ग्राम-कढ़ोन, पंचायत-नवडीह, थाना-पोड़ेयाहाट, जिला-गोंडडा, झारखण्ड से दिनांक निरंक का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 15.09.2023.

संदर्भ 3: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.05.2024.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 13, सितंबर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर



Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayaк Bhawan, New Delhi-110003



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फा. सं.: NCST/DEV-2183/JH/46/2023-ESDW

श्री जीशान कमर,
उपायुक्त, गोड्डा,
समाहरणालय भवन,
जिला - गोड्डा,
झारखंड - 814133
ई-मेल : dc-god@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 20.09.2024 को 04:00 बजे, आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने के संबंध में श्री राजेश हांसदा एवं अन्य, ग्राम-कढ़ोन, पंचायत-नवडीह, थाना-पोड़ेयाहाट, जिला-गोंडडा, झारखण्ड से दिनांक निरंक का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 15.09.2023.

संदर्भ 3: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.05.2024.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 13, सितंबर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर





सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2183/JH/46/2023-ESDW

दिनांक: 13.09.2024

सेवा में,

श्री राजेश हांसदा,
ग्राम-कढ़ोन,
पंचायत-नवडीह,
थाना-पोड़ेयाहाट,
जिला-गोंडडा,
झारखण्ड

विषय: भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने के संबंध में श्री राजेश हांसदा एवं अन्य, ग्राम-कढ़ोन, पंचायत-नवडीह, थाना-पोड़ेयाहाट, जिला-गोंडडा, झारखण्ड से दिनांक निरंक का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 20.09.2024 को 04:00 बजे, आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीया सदस्य महोदय (अ. ला.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।